

संख्या-994/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,  
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2024

विषय- पी०आर०डी० स्वयं सेवकों तथा मंगलदल के युवाओं हेतु 6500 एमरजेन्सी रिस्पोंडर किट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल धनराशि ₹0 6,50,000,00/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या-1307/रा०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक 21-03-2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी०आर०डी० स्वयं सेवकों तथा मंगलदल के युवाओं हेतु 6500 एमरजेन्सी रिस्पोंडर किट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि ₹0 6,50,000,00/- (छह करोड़ पचास लाख) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी०आर०डी० स्वयं सेवकों तथा मंगलदल के युवाओं हेतु 6500 एमरजेन्सी रिस्पोंडर किट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि ₹0 6,50,000,00/- (छह करोड़ पचास लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबंध**

- (1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-I, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही समस्त कार्य कराया जायेगा उससे इतर कोई कार्य नहीं कराया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय हस्त पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।
- (4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(5) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 6,50,000,00/- (छह करोड़ पचास लाख) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Ram Kewal

Date: 01-08-2024 (यस केवल)

विशेष सचिव

संख्या:-994(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ०प्र० शासन।
- 6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-07/08/2024

प्रेषण संख्या:- 994  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-994

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं  
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                                        |                    | 24-वृहत् निर्माण कार्य | योग                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1     | जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a | वर्तमान<br>प्रगामी | 65000000<br>65000000   | 65000000<br>65000000 |
|       | योग                                                                        | वर्तमान<br>प्रगामी | 65000000<br>65000000   | 65000000<br>65000000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ पचास लाख



(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उत्तर प्रदेश।